

राष्ट्रीय आवास बैंक
(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)
नई दिल्ली

आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, २००१

निर्देश सं. एनएचबी.एचएफसी.डीआईआर.१८/सीएमडी/२००७ दिनांक २६ मार्च, २००७

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम इससे संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में और देश की आवास वित्त प्रणाली को अपने हित में विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ बनाने संबंधी सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद् द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्-

आवास वित्त कंपनी (राआबैंक) निर्देश , 2001 के अनुच्छेद 24(1)(iii) के बाद, एक नया उप-अनुच्छेद (iv) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्

"(iv) गैर-आवासीय गैर-बैंकिंग आवासीय ऋणों की कुल बकाया राशि का सामान्य प्रावधान 0.4% ऋणों के बारे में मानक जो मानक आस्तियां हैं, नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :
आस्तियां

- क) 31 मार्च, 2007 तक 0.1 प्रतिशत
- ख) 30 जून, 2007 तक 0.2 प्रतिशत
- ग) 30 सितम्बर, 2007 तक 0.3 प्रतिशत
- घ) 31 दिसम्बर, 2007 तक 0.4 प्रतिशत

एस. श्रीधर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक